न्यायालय उपखंड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारी: पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)

उनवान

गुलाबचंद बनाम बद्रीबाई

प्रकरण संख्या :-172/24

1. गुलाबचंद पिता गोविंद राम जाति लोधा निवासी गरबोलिया तहसील मनोहर थाना

2. जमनालाल पिता गोविंद राम जाति लोधा निवासी गरबोलिया तहसील मनोहर थाना

3. नंदकिशोर पिता गोविंद राम जाति लोधा निवासी गरबोलिया तहसील मनोहर थाना

..... प्रार्थीगण

1 बद्रीबाई पत्नी खेमचंद जाति लोधा निवासी गरबोलिया तहसील मनोहर थाना

2 खेमचंद पिता गोविंद राम जाति लोधा निवासी गरबोलिया तहसील मनोहर थाना

.....अप्रार्थीगण

उनवान

गोकुल प्रसाद बनाम बद्रीबाई

प्रकरण संख्या 171/24

1. गोकुल प्रसाद पिता गंगाराम जाति लोधा निवासी गरबोलिया तहसील मनोहर थाना

2.रामलाल पिता गंगाराम जाति लोधा निवासी गरबोलिया तहसील मनोहर थाना

3.हजारीलाल पिता गंगाराम जाति लोधा निवासी गरबोलिया तहसील मनोहर थाना

बनाम

1 बद्रीबाई पत्नी खेमचंद जाति लोधा निवासी गरबोलिया तहसील मनोहर थाना

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:निर्णय:-

दिनाँक:- 06.01 .2026

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं- पत्रावली गुलाबचंद बनाम बद्रीबाई तथा गोकुल प्रसाद बनाम बद्री बाई दोनों ही प्रकरणों में प्रार्थीगण द्वाराअप्रार्थी बद्रीबाई की खाते की आराजी खसरा नंबर 193 से रास्ता चाहा गया है अतः दोनों प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है

प्रार्थीगण गुलाबचंद वगैरा की शामिल खाते की आराजी ग्राम गरबोलिया, पटवार हल्का गरबोलिया, तहसील मनोहर थाना के खाता संख्या नया 69 पुराना 55 की खसरा नंबरान क्रमशः :1151/149 की 0.3480 हेक्टेयर, 1153/218 की 0.3642 हेक्टेयर, 1155/317 की 0.3723 हेक्टेयर, 1157/374 की 0.6151 हेक्टेयर,

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

1159/512 की 0.1700 हेक्टेयर, 1161/959 की 0.3804 हेक्टेयर, 1163/960 की 0.4613 हेक्टेयर, 1165/962 की 0.5747 हेक्टेयर, 1174/753 की 0.0324 हेक्टेयर, 1176/109 की 0.3399 हेक्टेयर, 1178/151 की 0.4856 हेक्टेयर, 1180/180 की 0.4371 हेक्टेयर, 1182/319 की 0.1052 हेक्टेयर, 1184/663 की 0.5180 हेक्टेयर, 1189/964 की 0.566 हेक्टेयर तथा 752 की 0.0081 हेक्टेयर तथा 961 की 0.250 हेक्टेयर भूमि कुल 17 किता की 6.0379 हेक्टेयर आराजी स्थित है।

यह प्रार्थीगण की शामिल खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 1180/180 की 0.4371 हेक्टेयर के निकट अप्रार्थी नंबर एक की खाते की आराजी खाता संख्या नया 226 पुराना 198 की खसरा नंबर 193 की 0.6394, 198 की 0.0162 हेक्टेयर कुल किता 2 की 0.6556 हेक्टेयर आराजी स्थित है।

प्रार्थना-पत्र की मद संख्या एक में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 1180/180 की 0.4371 हेक्टेयर भूमि पर आने जाने का रास्ता अप्रार्थी नंबर एक की आरजी खसरा नंबर 193 की मेड़ पर होकर बना है जिस पर प्रार्थीगण हमेशा से अपने खाते की आराजी में कृषि कार्य हेतु उपकरण ले जाते रहे हैं। अप्रार्थी नंबर एक द्वारा 6 माह पूर्व अपनी उक्त आरजी पर बनी हुई मेड पर तारबंदी कर दी गई है जिसके फलस्वरूप प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि 1180/180 पर आने जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया। प्रार्थीगण ने जब अप्रार्थी से रास्ता खुलवाए जाने को कहा तो अप्रार्थी नंबर एक व उसके परिवारीजन लड़ाई झगड़े पर आमादा हो गए तथा रास्ता खोलने से इंकार कर दिया जिसके परिणामस्वरूप प्रार्थी को वाद हेतुक उत्पन्न हुआ।

इस प्रकार प्रार्थी ने उक्त खसरा नंबर 1180/180 पर कृषि कार्य हेतु जाने के लिए अप्रार्थी के खसरा नंबर 193 की मेड़ से रास्ता खुलवाए जाने हेतु तथा रास्ता दिलाए जाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ पत्र गुलाबचंद, जमाबंदी ग्राम गरबोलिया पटवार हल्का गरबोलिया तहसील मनोहर थाना खाता संख्या 69 संवत 2074-2077, जमाबंदी ग्राम गरबोलिया पटवार हल्का गरबोलिया तहसील मनोहर थाना खाता संख्या 226 संवत 2074-2077 पेश की है।

इसी प्रकार प्रार्थीगण गोकुल वगैरा ने भी अपने खाते की आराजी पर जाने के लिए अप्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 193 से होकर रास्ता चाहा है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबगी की गई तथा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुरूप तहसीलदार से रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चंद्र वैष्णव ने वकालतनामा पेश किया।अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में कहा कि प्रार्थी की आराजी पर आने जाने का वर्षों पुराना रास्ता मेन रोड पेट्रोल पंप व खसरा नंबर 134 के मध्य में से होकर के खसरा नंबर 134 ब 133 की मेड़ से होकर खसरा नंबर 179 से होते हुए खसरा नंबर 1180/180 की आराजी पर उनके बाप दादाओं के जमाने से हैं और यह रास्ता अभी भी निरंतर चालू है परंतु प्रार्थी गांव के नजदीक से होकर अप्रार्थी की खातेदारी की खसरा नंबर 1180/180 में से निकलना चाहते हैं। प्रार्थीगण गांव से अधिक दूरी पर चालू रास्ते के स्थान पर पास का रास्ता लेने के लिए यह झूठा

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। इस प्रकार अप्रार्थी ने अपने जवाब में प्रार्थना-पत्र को मय खर्चा खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि वादी के द्वारा अपनी भूमि ग्राम गरबोलिया में खसरा नंबर 1180/180 तक जाने हेतु खसरा नंबर 193 से होकर रास्ता चाहा है। प्रार्थी के खेत तक जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त खसरे 193 से खसरा नंबर 1180/180 तक निकटतम रास्ते जाने के लिए 10 फीट चौड़ा 250 फीट लंबा रास्ता यानी 0.0232 हेक्टेयर भूमि बनती है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251A के प्रावधानानुसार न्यायालय उपखंड अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि संक्षिप्त जांच के पश्चात् यह समाधान हो जाए कि प्रार्थी की आवश्यकता आत्यान्तिक है, वैकल्पिक मार्ग नहीं है तो लघुतम/निकटतम मार्ग (तीस फुट से अधिक चौड़ा न हो) प्रदान करे। मार्ग भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ता अंकित हो जाएगी।

यहां धारा 251क को देखना समीचीन होगा

251क अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना - (1)जहां-

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है; या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या,यथास्थिति उनके जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है-

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथा स्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखंड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि-

(i) यह आवश्यकता आत्यन्तिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है; और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नए मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाइन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फीट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर जो उसे अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाए, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाए तो लघुत्तम या निकटतम रूप से होकर एक नया मार्ग जो 30 फीट से अधिक चौड़ा ना हो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को 30 फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए उसे अभिधारी को जो उसे भूमि को धारित करता है जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या (विद्यमान मार्ग को विस्तारित या

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाए, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखंड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए या प्रतिकर के संदाय के एवज में ऐसे अभिधारी के नाम विनिमय में अधिमानत: समान कीमत की और उसकी लगी भूमि से लगी हुई भूमि के समान क्षेत्र का अंतरण किए जाने पर) अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाए वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ता के रूप में अभिलिखित की जाएगी।

(3) वह व्यक्ति जिनको उपधारा (1) में निरदिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा की उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में,जिसमे से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाए, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज़ी साक्ष्य,तहसीलदार जाँच-रिपोर्ट का गौरपूर्वक अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। ततपश्चात न्यायालय का प्रकरण पर विधिक परीक्षण निम्ननुसार है :-

प्रार्थीगण की वादग्रस्त जोत खसरा नं. 1180/180 (रकबा 0.4371 हे.खाता 69/55) अप्रार्थीगण की जोत खसरा नं. 193 (रकबा 0.6394 हे., खाता 226/198) से पूर्णतः सटकर अवस्था में सिद्ध होती है। धारा 251A(1) के प्रथम सिद्धान्तानुसार आवश्यकता आत्यन्तिक सिद्ध करने हेतु प्रार्थीगण ने शपथ-पत्र एवं जमाबंदी (संवत् 2074-2077) प्रस्तुत कर कृषि उत्पादन/उपकरण परिवहन हेतु वास्तविक बाधा प्रदर्शित की। यह केवल सुविधाजनक नहीं अपितु आत्यन्तिक आवश्यकता है। यह वैकल्पिक मार्ग के अभाव का प्रमाणीकरण है अप्रार्थीगण का कथन है कि मेन रोड से खसरा 134/133/179 होकर चालू रास्ता मौजूद है,साक्ष्यरहित है एवं तहसीलदार स्थल निरीक्षण मौका रिपोर्ट से खण्डित है। तहसीलदार ने स्पष्ट अंकित किया कि **"प्रार्थी के खेत तक जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं" है।** धारा 251क(1)(ख) के अनुसार वैकल्पिक मार्ग अभाव सक्षम राजस्व अधिकारी प्रमाणन से सिद्ध है जिसे अप्रार्थीगण ने किसी भी साक्ष्य से इसे उल्टा नहीं है।

तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार खसरा 193 से 1180/180 तक 10 फीट चौड़ा x 250 फीट लंबा (0.0232 हे.) निकटतम और न्यूनतम आवश्यक मार्ग प्रस्तावित किया गया है।यह धारा 251A के अधिकतम 30 फीट सीमा के अनुरूप एवं न्यूनतम प्रभाव सिद्धान्त के अनुरूप है। **प्रकरण तीनों शर्तें आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव, लघुतम पूर्ण करता है।**

-:आदेश:-

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की आराजी ग्राम गरबोलिया खसरा नंबर 1180/180 पर पहुंच हेतु अप्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 193 की 0.639 रकबा हेक्टेयर में से 0. 0232 हेक्टेयर को रिपोर्ट के साथ संलग्न नगरी नक्शे अनुसार किस्म रास्ता क़ीमतन दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। वर्णित रास्ते की वर्तमान डीएलसी की दुगने राशि का मूल्यांकन तहसीलदार द्वारा किया जाए। उक्त राशि को

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रार्थी गुलाबचंद वगैरा एवं गोकुल प्रसाद वगैरा द्वारा 1/2, 1/2 जमाराज करवाया जाकर अप्रार्थी को अदा करवाई जाए। नक्शा लट्ठा में तथा राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का अंकन किया जाए यदि अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को लेने से मना किया जाता है तो उक्त राशि बतौर अमानत नियमानुसार राजकोष में जमा किया जाए। दोनों पक्ष अपना अपना खर्चा वहन करेंगे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे द्वारा लिखवाया गया तथा न्यायालय की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज.)

पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना